

22-4-17

अपील नं. 23-8-17 का अपीलान्त / रेषपोडेंट / रेषपोडेंट

अधिकारी पदेन राज... अतः पत्रावली पूर्ण आ... 4-6-19

4-6-19

अपील नं. 23-8-17 का अपीलान्त / रेषपोडेंट / रेषपोडेंट



23-7-19

अपील नं. 23-8-17 का अपीलान्त / रेषपोडेंट / रेषपोडेंट

3-9-19

अपील नं. 23-8-17 का अपीलान्त / रेषपोडेंट / रेषपोडेंट



11179

पत्रावली पेश। अपीलान्त/रेसपोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय करे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाद सरजीव तकमील दाखिल होना हो।

196

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राज... अपील अधिकारी